



समाप्त नकल हस्ता

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
वाद संख्या :- 19780/2018

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2018412480119780

कादर - 143/2020

सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अतगल धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निष्पत्ति

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 उपरोक्त राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट, उत्तर टोला बंकी बाराबंकी द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल नि: मो: उत्तर टोला कस्बा बंकी पर 0 नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 31-12-2018 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 06-07-2020 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि: रकबा 0.491हे: भू: राजस्व रु: 23.00 सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट उत्तर टोला/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी मो: उत्तर टोला कस्बा बंकी परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के नाम व खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि: रकबा 0.340हे: भू: राजस्व रु: 16.00 सुनील कुमार पुत्र सियाराम निवासी उत्तर टोला बंकी के नाम कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे: स्थित ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी दर्ज अभिलेख है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर गैर कृषिक गतिविधियों विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न जाने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रकरण की जांच पुनः नायब तहसीलदार श्री के:पी:सिंह से करायी गयी। प्राप्त आख्या दिनांकित 30-07-2020 के अनुसार ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज स्थित गाटा संख्या 184मि: का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30-07-2020 को किया गया। आवेदित रकबा 0.831हे: में से 0.491हे: सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम तथा शेष रकबा 0.340हे: सुनील कुमार जायसवाल के नाम दर्ज अभिलेख है। सुनील कुमार जायसवाल सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के संरक्षक है। गाटा संख्या 184मि: आबादी से 100मी: से अधिक दूरी पर स्थित है तथा पक्की सड़क से दूरी भी 100 मी: से अधिक है। स्थलीय एवं अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर आवेदित गाटा सामान्य कृषि भूमि की श्रेणी में आता है जिसका सर्किल रेट 72.00 लाख प्रति हे: निर्धारित है। उक्त के अनुसार उदघोषणा शुल्क रु: 59832.00 होती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 06-07-2020/नायब तहसीलदार देवा की आख्या दिनांक 30-07-2020 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी सुनील कुमार एवं सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट, उत्तर टोला बंकी बाराबंकी द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल के नाम खतीनी फ: 0 वर्ष 1427-1432 की खाता 00416 गाटा संख्या 184मि: रकबा 0.340हे: भू: रा: रु: 16.00 तथा खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि: रकबा 0.491हे: भू: राजस्व रु: 23.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे: को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

पृष्ठ संख्या :



3-2-20
6/8/20



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिल्हाधिकारी
 मण्डल : अर्धोपचा, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
 वाद संख्या :- 19780/2018
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2018412480119780
 सिधाराम मंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

1- धारा-80 (2) उपरोक्त संविधान 2006 के अंतर्गत तहसीलदार नवाबगंज/गायक सहस्रजदार द्वारा दिये गये पत्रिका आदेश निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज

क्र. सं.	शुद्धि का विवरण	क्र. सं.	नाम व	वर्तमान आवासीय संख्या	वादी के द्वारा दर्ज संख्या	मूल्य रु. में	पट्टा संख्या	संपादन हेतु रु. में	विनिर्देशन के लिए प्रस्तावित रु. में	विनिर्देशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
मोहम्मदपुर परगना नवाबगंज	विद्यमान मंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट	00410		0.491	23.00	104	104	0.491	0.491	पट्टा संख्या 5400/01/H5 00004
	सल्लत टोला/उपचा शुनील कुन्दर जगन्नाथल पुत्र सिधाराम जगन्नाथल मिश्र 400 उत्तर टोला अर्धोपचा बंकी व गायक नवाबगंज बाराबंकी व मुनील कुन्दर पुत्र सिधाराम मिश्राली उत्तर टोला बंकी	00416		0.340	16.00	164	164	0.340	0.340	दिनांक 06-08-2020 व किंसाजन शुल्क रु. 1000-00 वालान संख्या 5400/01/H5 00005

- 1- वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 2- वादी के आवेदित रकबा 0.831 हे० पर अवासीय गतिविधियों विद्यमान है जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।
- 3- उपरोक्त राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अंतर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यजन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रस्तुत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रु. 59832-00 वालान संख्या 5400/01/H5 00004 दिनांक 06-08-2020 व किंसाजन शुल्क रु. 1000-00 वालान संख्या 5400/01/H5 00005 दिनांक 06-08-2020 व स्टाम्प शुल्क के रूप में रु. 59832-00/05-08-2020 का छापाज स्टाम्प क्रमांक रु. 5000/DE 740168, रु. 5000/DE 740169, रु. 5000/DE 740170, रु. 5000/DE 740371, रु. 5000/DE 740372, रु. 5000/DE 740373, रु. 5000/DE 740180, रु. 5000/DE 740181, रु. 5000/DE 740182, रु. 5000/DE 740186, रु. 5000/DE 740187, रु. 1000/BM 193398, रु. 1000/BM 193399, रु. 1000/BM 193400, रु. 1000/BM 193401, रु. 500/AD 767807, रु. 100/FL 175989, रु. 100/FL 175990, रु. 100/FL 175991, रु. 20/38AA 706568, रु. 38/38AA 706569 दाखिल किया गया है।
- 4- चूंकि वादी द्वारा अपनी ज़ात का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अंतर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये वालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।
- 5- इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई मू-स्वामी मू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में वादी द्वारा स्टाम्प संख्या 14AE/211387/05-08-2020 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।





आदेश पत्रक

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी
नम्बर : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
वाद संख्या :- 19780/2018**

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2018412480119780

**सिवाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

1- यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अद्वैतिक प्रयोजन के सार में है, इस उद्घोषणा का स्वतंत्र सम्बन्ध किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में वादिनी द्वारा स्टाम्प संख्या 14AE/211387/05-08-2020 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त करना एवं भागद्वित्र रयीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

3- आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नहीं हैं।
अतएव प्रसंगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0 राजस्व रू0 23.00 व खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0 राजस्व रू0 18.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 को कृषि से अलग कार्य में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अप्रसारित की नहीं है। तहसीलदार नवाबगंज की जांच अख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साध्यों का सम्पक परीक्षण किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.831हे0 गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 59832-00 विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 59832-00 का स्टाम्प शुल्क आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक प्रवृत्त नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी क्र0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00416 पर सुनील कुमार व खाता संख्या 00410 पर सिवाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित भूमि खाता संख्या 00416 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.340हे0 भू0राजस्व रू0 16.00 व खाता संख्या 00410 गाटा संख्या 184मि0 रकबा 0.491हे0 भू0राजस्व रू0 23.00 कुल 02 किता कुल रकबा 0.831हे0 को धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0राजस्व-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकार में आता है, तो उ0प्र0राजस्व-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सवित अभिलेखागार हो।
दिनांक- 05 अगस्त, 2020



TRUE COPY

BARA BANSAI
06/08/2020

(अमय कुमार बाण्डेय)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज-बाराबंकी
05/08/2020

05/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020

पृष्ठ संख्या :